P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-2* (Part-1) October- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था में हंटर कमीशन की भूमिका : एक विश्लेषण

किशोर कुमार
एसोसिएट प्रोफेसर,
इतिहास विभाग,
कु. मा. रा. म. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर,
उ. प्र.

अन्जना कुमारी
शोधार्थिनी,
इतिहास विभाग,
कु. मा. रा. म. स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर,
उ. प्र.

सारांश

ब्रिटिश काल में समय–समय पर शिक्षा व्यवस्था की प्रगति के मूल्यांकन व उसमें आवश्यक सुधार हेतु अनेक आयोगों का गठन किया गया। शिक्षा नीति पर पहला आयोग चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 में गठित किया गया जिसने शिक्षा में सुधार हेतु अपनी अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की इसे 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा' कहा गया। इस आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गईं तथा इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति हुई जिसका मूल्यांकन करने के लिए 'हंटर कमीशन'–1882 का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यु0–डब्ल्यु0हंटर द्वारा की गई। हंटर कमीशन द्वारा शिक्षा के हर क्षेत्र में विस्तृत अनुशंसाएं प्रस्तावित की गईं। इसका कार्य क्षेत्र मुख्यत: प्राथमिक शिक्षा का समीक्षा करना था। फिर भी इस कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालयी शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, विशेष जाति समूहों की शिक्षा, महिला शिक्षा पर अपनी सिफारिशें दीं, जिनको लागू करके शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन भी लाया जा सकता था। हालांकि कुछ परिवर्तन आये भी जैसे पहले की तुलना में अधिक विद्यालय खोले गए। शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ी, स्वदेशी विद्यालयों को प्रोत्साहन किया गया, लेकिन जिस मात्रा में परिवर्तन की उम्मीद थी उस दिशा में सरकार की अपनी इच्छाशक्ति न होने के कारण वह परिवर्तन मात्र दिवास्वप्न ही रह गए।

मुख्य शब्द : ब्रिटिश कालीन, शिक्षा व्यवस्था

प्रस्तावना

1600 ई. में स्थापित की गई ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने धीरे–धीरे भारत की राजनीतिक शिथिलता का लाभ उठाकर भारतीय भू–भागों में अपनी पकड़ मजबूत की। ब्रिटिश कम्पनी ने अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से लगभग बाहर कर दिया। 1757 ई. से 1857 ई. के मध्य ईस्ट इण्डिया कंपनी ने भारत पर अपने नियंत्रण को सुदृढ़ करते हुए एक प्रशासनिक ढांचे का भी विकास कर लिया था। अंग्रेजी प्रशासन मुख्यतः नागरिक सेवा, सेना और पुलिस पर आधारित था। अतः कंपनी के शासन व्यवस्था और व्यापारिक गतिविधियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक समर्थक वर्ग के निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई।

वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज अपने ''श्वेत भार सिद्धान्त' के आधार स्वरूप भारत पर अपने नियंत्रण को उचित साबित करना चाह रहे थे। इस कारण उन्होंने भारत में अनेक सामाजिक–धार्मिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए कानून बनाये, जिसमें ब्रिटिशों को अनेक समाज सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, देवेन्द्रनाथ टैगोर, केशवचन्द्र सेन आदि का सहयोग प्राप्त हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए तथा अपने ज्यादा से ज्यादा हितैषी वर्ग में वृद्धि के लिए अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्त्वपूर्ण बदलाव किए। इन्हीं बदलावों के तहत सबसे पहले 1813 ई. के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर एक लाख रु. खर्च करने का प्रावधान किया गया। दरअसल भारत प्राचीन काल से शिक्षा के केन्द्र के रूप में प्रसिद्ध रहा था। यहां पर नालन्दा (बिहार, 450–470 ई. सम्राट कुमारगुप्त), विक्रमशिला (8वीं शताब्दी, धर्मपाल (पाल वंश का शासक), तक्षशिला (700 ई.पू., शासक तक्ष, वर्तमान पाकिस्तान में), काशी (बनारस, वैदिक काल), वल्लभी (470 ई., सम्राट भट्टारक द्वारा) आदि जैसे अनेक शिक्षा के लिए विश्व प्रसिद्ध केन्द्र विद्यमान रहे हैं जिसमें भारतीयों के साथ–साथ विदेशी छात्र भी शिक्षा अर्जन के लिए समय–समय पर आते रहे हैं, जिससे भारत ने विश्वविद्यालय नाम को सही परिपेक्ष्य में स्थापित किया। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह भी है कि प्राचीन काल में उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्द्ध में वर्ण व्यवस्था के स्थापित हो जाने के कारण शिक्षा में जन सामान्य व महिलाओं

की भागीदारी कम हो गई थी। वस्तुतः वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत चार वर्ण– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र आते हैं। ये वर्ण ऋग्वैदिक काल में जहां कर्म आधारित थे वहीं उत्तर वैदिक काल में यह जन्म आधारित हो गए। इतना ही नहीं इस काल से ही निम्न वर्ण व महिलाओं से शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। आने वाले समय में यह वर्ण–व्यवस्था और ज्यादा कठोर होती गई, हालांकि उच्च वर्ण की महिलाओं के कुछ नाम आते हैं जैसे अपाला, घोषा, विश्ववरा, गार्गी आदि जो उस समय की विदुषी स्त्रियां थीं, अर्थात् उच्च वर्ण की महिलायें शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं लेकिन इसकी व्यवस्था घर पर ही की जाती थी। अतः जन सामान्य की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजा–महाराजा भी इसी वर्ण–व्यवस्था के तहत कार्य करते थे और शिक्षा उच्च वर्ण तक ही सिमट गई थी। समय के साथ यहां की परिस्थितियों में भी बदलाव हुए और बड़े–बड़े साम्राज्य छोटे–छोटे भू–भागों में बंट गए। शक्तिशाली शासकों के कमजोर उत्तराधिकारियों से उनका शासन छोटे–छोटे सामंतों ने हथिया लिया और उन्हें नाममात्र का शासक बना दिया। अतः शिक्षा के ये बड़े केन्द्र जो शक्तिशाली शासकों की कृपादृष्टि से पनप रहे थे, धीरे–धीरे ध्वस्त हो गए अर्थात् पिछड़ने लगे। भारत के भू–भाग में अनेक छोटे–छोटे राज्य स्थापित हो गए थे जो आपस में युद्धों में ही व्यस्त रहते थे और इन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी कारण भारत में शिक्षा की अवनति मध्य काल में ज्यादा देखने को मिली और भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग बिखर गई।

'अतः ब्रिटिश शासकों ने अपने 1813 ई. के चार्टर एक्ट में इस तरफ ध्यान आकर्षित किया और शिक्षा को एक लाख रू0 का अनुदान प्रदान किया लेकिन कंपनी द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लेने के कारण 1823 तक इस राशि को खर्च ही नहीं किया गया जा सका।[2] दरअसल बहुत दिनों तक यह सुनिश्चित ही नहीं किया गया कि यह राशि किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च की जाए। इसका कारण आंग्ल–प्राच्य विवाद का उभरकर आना था जिसका समाधान गवर्नर जनरल की कौंसिल के विधि–सदस्य लार्ड मैकाले के विवरण–पत्र प्रस्तुत करने के बाद हुआ। वस्तुतः मैकाले ने अपने विवरण–पत्र में भारतीय भाषाओं व साहित्य की आलोचना एवं अंग्रेजी भाषा–साहित्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि ''यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत व अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है।' दरअसल वह एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जिन्हें कम खर्च पर कंपनी के निम्न पदों पर भर्ती किया जा सके; इन पदों पर ब्रिटिश लोगों को भर्ती करने पर उन्हें ज्यादा वेतन देना पड़ता था। मैकाले ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि ''हमें ऐसा वर्ग तैयार करने के लिए जी–जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे व उन करोड़ों लोगों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं, दुभाषियों का काम कर सके और यह उन लोगों का वर्ग होगा जो रक्त व रंग में भारतीय मगर रुचि, विचारों, आचरण तथा बुद्धि में अंग्रेजों के समान हो।''[3]

अतः लार्ड विलियम बैंटिक ने 7 मार्च 1835 को मैकाले की योजना पर मुहर लगा दी और भारत में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यूरोपीय ज्ञान–विज्ञान व साहित्य के प्रसार पर सरकार ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ नए स्कूल व कॉलेजों की स्थापना की गई। 1844 में घोषणा की गई कि केवल अंग्रेजी पढ़े–लिखे लोगों को ही सार्वजनिक सेवा में नौकरी मिलेगी, इससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और तेज हो गया। सरकार द्वारा देशी भाषाओं के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे देशी भाषाई शिक्षा पिछड़ गई और मद्द के अभाव में गुम होती प्रतीत होने लगी।

इसके बाद 1853 के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया। अतः बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। वुड कमीशन द्वारा भारतीय शिक्षा की एक विस्तृत योजना तैयार की गई। यह योजना 1854 में वुड डिस्पैच के रूप में सामने आयी जिसे 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। इसके जरिए वुड कमीशन द्वारा सरकार को जन शिक्षा की जिम्मेदारी उठाने को कहा गया।

वुड डिस्पैच की प्रमुख अनुशंसाए निम्नलिखित थीं–

1. सरकार पश्चिमी शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान व साहित्य का प्रसार करें।
2. उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन सरकार देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित करे क्योंकि इसके जरिए भी यूरोपीय ज्ञान जन–साधारण तक पहुंचाया जा सकता है।
3. यह प्रस्ताव दिया गया कि गांवों में देशी–भाषाई प्राथमिक स्कूल खोले जाएं और उनके ऊपर जिला स्तरीय ऐंग्लो– वर्नाक्यूलर हाई–स्कूल और कॉलेज खोले जाएं।
4. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक–प्रशिक्षण संस्थाएं स्थापित की जाएं।
5. व्यवसायिक व तकनीकी शिक्षा से संबंधित विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाए।
6. स्त्री–शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए।
7. निजी शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के सरकारी अनुदान दिए जाएं।
8. लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसीडेंसी नगरों में विश्वविद्यालय खोले जाएं। जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करवाना हो।
9. इंग्लैंड में प्रचलित नमूने के आधार पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया।
10. शिक्षा के प्रशासन के लिए अलग विभाग की स्थापना की जाए।

'यह नई शिक्षा प्रणाली भी अंग्रेजी नमूनों की दासतापूर्ण अनुकृति थी और चार्ल्स वुड के पत्र की सभी सिफारिशें लागू कर दी गईं।[4] वुड द्वारा अनुमोदित विधियों और आदर्शों का लगभग 50 वर्ष तक बोलबाला रहा और इसी काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यीकरण हुआ तथा बहुत सी संस्थाएं भी स्थापित

हुईं। धीरे–धीरे निजी भारतीय प्रयत्न भी इस क्षेत्र में दृष्टिगत हुए।

"1854 ई. से 1882 ई. के मध्य भारत में शिक्षा की प्रगति प्रशंसनीय रही। लार्ड रिपन ने 1882 में 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन कराने और भविष्य में शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक कमीशन का गठन किया जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यु0–डब्ल्यु0हंटर ने की; इन्हीं के नाम पर इस कमीशन को हंटर कमीशन कहा गया। इस आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 20 अन्य सदस्य थे जिनमें से 8 भारतीय सदस्य थे"।[5]

डब्ल्यु0–डब्ल्यु0हंटर का पूरा नाम विलियम विलसन हंटर था। इनका जन्म 15 जुलाई 1840 को तथा मृत्यु 6 फरवरी 1900 ई. में हुई। ये उच्च कोटि के शिक्षाविद्, ग्रंथकार, सांख्यिकी विज्ञ थे जो पेशेवर रूप से भारत में अंग्रेज अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इनकी शिक्षा–दीक्षा ग्लासगो, पेरिस तथा बान में हुई। 1862 में भारतीय लोकसेवा में प्रवेश दिया गया तथा इनकी नियुक्ति बंगाल में हुई।

डब्ल्यु0–डब्ल्यु0हंटर ने लेखन के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए। 1868 ई. में हंटर ने 'ग्रामीण बंगाल' का क्रमानुसार इतिहास लिखा। चार साल बाद 'भारत की अनार्य भाषाओं का तुलनात्मक कोश' प्रकाशित किया। उन्होंने भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का प्रबंध किया और 1875–77 ई. में बंगाल का सांख्यिकीय विवरण 20 खंडों में प्रकाशित किया। इसके साथ ही उन्होंने 23 खंडों वाली 'इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया' भी प्रकाशित कराया। अवकाश ग्रहण करने के बाद 1887 ई. में उन्होंने 'रूलर्स ऑफ इंडिया पुस्तकालय' का संपादन किया और स्वयं डलहौजी व मेया पर पुस्तकें लिखीं।

हंटर कमीशन का गठन

हंटर कमीशन में सदस्यों की कुल संख्या 21 थी। 1 अध्यक्ष + 20 अन्य सदस्य, इसमें 8 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया इसमे प्रमुख थे– आनन्द मोहन बोस, हाजी गुलाम हुसैन सैय्यद मोहम्मद, भूदेव मुखर्जी, पी. रंगनन्दा मुदालियर, काशीनाथ त्रियंवकतेलम, जितेन्द्र मोहन टैगोर, इत्यादि को शामिल किया गया था। आयोग के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक प्रेसीडेंसी व पूरे भारत से जिसमें बर्मा व असम के क्षेत्र भी शामिल थे, से चुने गए थे। ये सदस्य अलग–अलग धर्म नस्ल व वर्गों से चुने गए थे जो भारतीय शिक्षा में रुचि रखते थे। पूरे देश से इनको चुनने का कारण इनका वहां की परिस्थितियों से परिचित होना था।

कमीशन के गठन का उद्देश्य

1854 ई. के बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए तत्कालीन वायसराय लार्डरिपन (1880–84) ने इस कमीशन का गठन किया जिसका उद्देश्य तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए महत्त्वपूर्ण सुझाव देना था। वस्तुतः आयोग के गठन का एक कारण यह भी था कि इंग्लैण्ड में ईसाई पादरी लोग यह प्रचार कर रहे थे कि भारत में शिक्षा वुड डिस्पैच के प्रस्तावों के अनुसार नहीं हो रही है।[6] अतः इस आयोग को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि यह ऐसे सुझाव दें जो भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण हो जिससे भारत में लोक–शिक्षण की अलग–अलग शाखाएं एक साथ आगे बढ़ सके। समस्त भारत में प्राथमिक शिक्षा के सुधार व विस्तार पर इस आयोग का मुख्य ध्यानाकर्षण रखा गया था।

कमीशन को दिए गए निर्देश

1. 1854 के डिस्पैच के प्रभाव की जांच करना तथा इस अधिकथित (laid down) नीति को पूरा करने के वांछित तरीके सुझाना इस आयोग का प्रमुख कर्त्तव्य निर्धारित किया गया।[7]
2. कमीशन को मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा के बारे में समीक्षा व उससे संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। इस कमीशन को अपना ध्यान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रखना था। गवर्नर जनरल कौंसिल ने इच्छा व्यक्त की थी कि कमीशन, 1854 के वुड डिस्पैच के निर्देशों का पालन कहां तक हुआ है, इसकी समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि "Should specially bear in mind the great importance which the Government attaches to the subject of Primary Education."[8] अर्थात् विशेषकर अपने चिन्तन में इस बात को ज्यादा महत्व देना कि सरकार प्राथमिक शिक्षा के विषय से जुड़ सकें।

   अतः उनके इस कथन से यह भाव स्पष्ट हो जाता है कि वे प्राथमिक शिक्षा के विषय के संबंध में सरकार को ज्यादा ध्यानाकर्षण के लिए प्रेरित करना चाहते थे।

   वुड डिस्पैच में यह प्रश्न उठाया गया था कि शिक्षा को कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोगी व व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए जो जीवन के हर स्तर पर काम आये और शिक्षा तक ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच सुनिश्चित हो।[9] अतः कमीशन को इस संबंध में दिशानिर्देश प्राप्त हुए थे कि वे इस उद्देश्य की प्राप्ति की समीक्षा करें और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे कि कहां तक सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है और अभी किस क्षेत्र में कमी रह गई है। इस कमी को दूर करने के संबंध में कमीशन से सुझाव अपेक्षित थे।
3. कमीशन को निजी प्रयासों व अनुदानों को प्रोत्साहित करने हेतु भी निर्देश प्राप्त हुए थे। दरअसल सरकार के लिए प्राथमिक शिक्षा के विषय में पूरे देश में इसकी जरूरत के हिसाब से धन खर्च करना संभव नहीं था। अतः इस क्षेत्र में निजी प्रयासों को आगे आने की बहुत जरूरत थी, साथ ही धनी वर्ग से अनुदान प्राप्त करने की भी आवश्यकता थी। इनके बिना प्राथमिक शिक्षा का विकास पूरे देश में संभव नहीं था। अतः गवर्नर जनरल कौंसिल ने कमीशन को इस संबंध में दिशा निर्देशित करते हुए कहा, ''कमीशन की जांच का मुख्य विषय यह है कि वह गवर्नर जनरल कौंसिल द्वारा दिशा निर्देशित होकर उनकी इस इच्छा पर ज्यादा ध्यान दे कि सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह पूरे देश की प्राथमिक

शिक्षा के विषय की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त कोष एकत्रित कर खर्च कर सके वह भी यूरोपीय मानकों के आधार पर।''[10]

4. कमीशन को निर्देश दिया गया कि वह स्कूली शिक्षा को घरेलू प्रबंधन के स्थानांतरण के विषय में समीक्षण करके अपने सुझाव प्रस्तुत करे।[11] दरअसल सरकार स्कूल या फिर कॉलेजों को भारतीय भद्र–पुरुषों (जो कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में मदद की इच्छा रखते हो) को सौंपना चाहती थी। सरकार स्कूलों को अनुदान व्यवस्था के तहत घरेलू प्रबंधन के अंतर्गत विकास की अपेक्षा रख रही थी। इससे अंग्रेजी सरकार अपनी शासन व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे सकते थे। हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस दिशा–निर्देश का जिक्र किया है, ''सरकार इस तरह से सब करने के लिए तैयार है कि इस क्षेत्र में जितना तेजी से हो सके वह स्वतंत्रता व स्वालंबन की भावना से कार्य करे। सरकार अपने कॉलेज व स्कूलों को स्थानीय भद्र पुरुषों को अगर उचित लगे तो सौंपने की इच्छा रखती है जो इन अनुदान प्राप्त संस्थाओं का संतोषजनक रूप से प्रबंधन कर रहे हैं।''[12]
5. गवर्नर जनरल कौंसिल ने कमीशन को छात्रवृत्ति दर संबंधित सुझाव के लिए भी दिशा निर्देशित किया। उनके अनुसार भारत में निर्धन लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर पर्याप्त धन खर्च नहीं कर पाते हैं।[13] कौंसिल के अनुसार छात्रवृत्ति देने के लिए फंड की उपलब्धता होनी चाहिए जिससे कि उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर बड़ी संख्या में युवाओं को अवसर मिल सके। अतः कमीशन इस पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत करे।
6. कमीशन को स्त्री शिक्षा पर भी जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति की जांच व इसमें सुधार के लिए अनुशंसाएं पेश करने के लिए कहा गया।[14]

हंटर कमीशन के सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों का दौरा कर वहां की शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। ये देश के हर हिस्से शहर व गांवों में गए और वहां से शिक्षा संबंधी तथ्यों को एकत्रित किया। हंटर कमीशन ने शिक्षा व्यवस्था में 1854 के बाद प्राप्त की गई उपलब्धियों व अभी भी व्याप्त कमियों को अपने निरीक्षण में शामिल करने की पुरजोर कोशिश की और वे अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल भी हुए। उन्होंने 1854 के वुड डिस्पैच की सिफारिशों का पालन किया गया है या नहीं, अगर हां तो यह कहां तक सफल रही है और कहां इसमें कमी रह गई है, इन पर भी अपना ध्यान केन्द्रित कर जांच शुरू की। इतना ही नहीं वुड डिस्पैच की सिफारिशें किस क्षेत्र के लिए सफल व किस क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त साबित हुई इसको भी जांच का हिस्सा बनाया गया।

हंटर कमीशन ने विभिन्न भागों का निरीक्षण करते हुए गवर्नर जनरल की कौंसिल से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार अपनी जांच–पड़ताल की और अपनी रिपोर्ट में उन सबसे संबंधित अनुशंसाएं भी प्रस्तुत करने की कोशिश की। इन्होंने सभी प्रान्तों का भ्रमण किया और लगभग 200 प्रस्ताव पारित किए।[15] हंटर कमीशन द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देशों पर विस्तृत जांच के बाद अपनी सभी अनुदेशों पर विस्तृत अनुशंसाए प्रस्तुत की गई। जिनका उल्लेख उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सविस्तार से दिया है। उनमें से कुछ प्रमुख अनुशंसाए यहां प्रस्तुत की जा रही है–

स्वदेशी शिक्षा की सिफारिशें या अनुशंसाए[16]

1. स्वदेशी स्कूलों को देशी तरीकों से भारत के मूल निवासी द्वारा स्थापित या आयोजित किया जाए और सभी स्वदेशी स्कूलों को उच्च या निम्न मान्यता प्राप्त हो, उन्हें धर्मनिरपेक्ष की शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
2. स्वदेशी स्कूलों को प्रोत्साहित करने की सर्वोत्तम व्यवहारिक विधि और वांछित मान्यता, शिक्षा विभागों व पंडितों, मौलवियों और इस विषय में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के साथ संचार किया जाना चाहिए।
3. स्वदेशी स्कूलों में शिक्षाविदों को प्रशिक्षण से गुजरने के लिए और नियमित रूप से प्रशिक्षण के तहत अपने रिश्तेदारों और संभावित उत्तराधिकारी को लाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
4. सरकारी अनुदान प्राप्त स्वदेशी स्कूल विशेष विद्यालयों के रूप में पंजीकृत नहीं है तथा वे समुदाय के सभी वर्गों और जातियों के लिए खुले समझे जा सकते हैं। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो वे किसी जाति विशेष के विद्यार्थियों के लिए भी आरक्षित किये जा सकते हैं। सभी वर्गों की शिक्षा के लिए आनुपातिक प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शहर और जिलों में विशेष व अन्य प्राथमिक स्कूल के बीच उचित अनुपात बनाया जाये।
5. जहां नगरपालिका व स्थानीय बोर्ड मौजूद हो वहां प्राथमिक स्कूलों के पंजीकरण, पर्यवेक्षण और प्रोत्साहन संबंधी कार्य बोर्डों को सौंपा जाए, बशर्ते कि बोर्ड स्कूलों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे और उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे चाहे स्कूल सहायता प्राप्त हो या निजी देखरेख में हो।
6. प्राथमिक स्वदेशी स्कूलों को दी गई सहायता स्थानीय और नगरपालिका बोर्डों के नियमों के तहत हकदार हो और ऐसे बोर्डों को प्राथमिक स्वदेशी स्कूलों को मुफ्त आधार व विकास देना होगा तथा अपने स्वयं के स्कूलों को स्थापित करने के विकल्पों को भी अपनाना होगा।

प्राथमिक शिक्षा पर सिफारिशें

1. प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए जिससे छात्र शिक्षा की शुरुआत में सहज महसूस कर सके। यह निर्देश विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए नहीं है।

2- किसी भी प्रांत में अपर प्राथमिक व निम्न प्राथमिक परीक्षा अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रांत की परिस्थितियों के अनुकूल कानून द्वारा प्राथमिक

शिक्षा के लिए पूर्ण संभव प्रावधान व विस्तार के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

3. जहां स्वदेशी विद्यालय मौजूद है उनमें सुधार के नियम बनाकर प्राथमिक शिक्षा को विस्तारित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
4. अधिकारियों को निरीक्षण करके जहां तक संभव हो सके परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए तथा सहायता प्राप्त करने वाले सभी प्राथमिक स्कूलों का हमेशा निरीक्षण करते रहना चाहिए।
5. एक सामान्य नियम के रूप में प्राथमिक विद्यालयों को सरकारी अनुदान की सहायता उनके परीक्षा परिणामों के अनुसार विनियमित की जाती है लेकिन पिछड़े जिलों में या विशिष्ट परिस्थितियों में स्थापित स्कूलों के मामलों में एक अपवाद किया जा सकता है, जिसे विशेष नियमों के तहत सहायता दी जा सकती है।
6. स्कूलों में भवन व फर्नीचर को किफायती खर्च पर उपलब्ध कराना चाहिए।
7. प्रत्येक प्रांत में प्राथमिक परीक्षाओं के मानकों को संशोधित कर सरलीकरण किया जाना चाहिए तथा व्यवहारिक विषयों का ज्ञान उनकी देशी भाषा में दिया जाना चाहिए जैसे– अंकगणित, लेखा व भू–माप तथा प्राकृतिक व जीव विज्ञान से तत्वों की जानकारी। इतना ही नहीं उन्हें कृषि, स्वास्थ्य व उद्योगों से संबंधित विषय की भी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन भारत में अभी तक इस सामान्य एकरूपता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है।
8. शारीरिक विकास के लिए देशी खेलों जिमनास्टिक, स्कूल ड्रिल व इसी प्रकार की दूसरी अभ्यास क्रियाओं को प्रत्येक कक्षा के अनुरूप कराया जाना चाहिए।
9. मौजूदा नियम सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षण और नगर निगम या स्थानीय निजी बोर्डों द्वारा बनाए गये प्राथमिक विद्यालय सभी पर लागू होंगे।
10. नगरपालिका या स्थानीय बोर्ड स्कूलों के उन छात्रों को शुल्क के भुगतान से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता जिनके अभिभावक करदाता हो। सभी बोर्ड स्कूलों में, गरीबी के आधार पर मुक्त छात्रों के रूप में विद्यार्थियों का एक निश्चित अनुपात स्वीकार्य होगा।

माध्यमिक शिक्षा पर सिफारिशें

1. उच्च विद्यालयों के ऊपरी वर्गों में दो डिवीजन होते हैं– एक जो विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में अग्रणी होते हैं तथा अन्य वो जो व्यवहारिक चरित्र होते हैं और ये युवा वाणिज्यिक व गैर साहित्यिक गतिविधियों में उपयुक्त होते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में भी यह विभाजन स्वीकार किया जाना चाहिए जिसमें अंतिम मानक अंकों के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थियों को और प्रस्तावित वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी सार्वजनिक सेवाओं के लिए सामान्य परीक्षा देने में उपयुक्त मानना चाहिए।
2. सभी उच्च विद्यालयों में भी पुस्तकालयों के गठन व रखरखाव के लिए एक छोटा वार्षिक अनुदान दिया जाना चाहिए।
3. प्रत्येक प्रांत के अनुदान सहायता प्राप्त स्कूलों के नवीनीकरण व प्रबंधन और यदि आवश्यकता हो तो उनके फर्नीचर व उपकरणों के लिए सहायता दी जानी चाहिए।
4. संस्थागत शिक्षण सिद्धांतों की परीक्षा व शिक्षण अभ्यास में सफलता की शर्त पर ही माध्यमिक स्कूलों में चाहे वो सरकारी स्कूल हो या अनुदान प्राप्त अध्यापकों को स्थायी किया जाना चाहिए।
5. बिना किसी अंतराल के स्कूल में निरंतर निर्देश का समय तीन घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
6. एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पदोन्नति स्कूल के अधिकारियों के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए।

कॉलेज शिक्षा पर सिफारिशें

1. प्रत्येक कॉलेज को सहायता की दर वहां पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या व संस्थान की दक्षता व स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप दी जानी चाहिए। कॉलेजों को विशेष सहायता दी जानी चाहिए जब उन्हें आवश्यकता हो जैसे– भवन, फर्नीचर, पुस्तकालयों और अन्य उपकरणों की आपूर्ति व नवीनीकरण से संबंधित जरूरत।
2. सरकारी कॉलेजों में भारतीय स्नातकों को नियोजित किया जाये जो यूरोपीय विश्वविद्यालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके आये हैं। सभी बड़े कॉलेजों में सरकारी या अनुदान प्राप्त एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का प्रावधान होना चाहिए जो विश्वविद्यालय निर्धारित करें।
3. कॉलेजों में छात्रों की उपस्थिति की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों की सुविधानुसार एक मासिक शुल्क निर्धारित हो और जो छात्र इसे उस अवधि में नहीं चुकाता उसे कॉलेज से प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का कोई अधिकार न हो।[16]

महिला शिक्षा पर अनुशंसाए

1. महिला शिक्षा को स्थानीय, नगरनिगम व प्रांतीय फंड से विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 2. सभी महिला विद्यालयों व अनाथाश्रमों को चाहे वह धार्मिक आधार पर हो या न हो सभी अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य समझे जाने चाहिए जहां महिलाओं को पढ़ना व लिखना सिखाया जाता हो।[17]
2. लड़कियों के लिए स्कूलों को लड़कों के स्कूलों की तुलना में अनुदान प्राप्ति आसान व उच्च दर पर होनी चाहिए खासकर ऐसे स्कूल जो गरीब व निम्न जाति की लड़कियों के लिए हो।
3. लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय के लिए ऐसे मानक निर्देश होने चाहिए जो लड़कों के स्कूलों से ज्यादा आसान हो और इस तरह बनाये जायें जो लड़कियों की घरेलू जीवन की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरी करें तथा औरतें अपना व्यवसाय शुरू कर पायें। लड़कियों के लिए अभ्यास पुस्तिका के उचित चुनाव पर ध्यान दिया जाए तथा इस तरह की पुस्तिका को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
4. लड़कियों से शिक्षा शुल्क (फीस) जहां तक हो सके व्यवहारिक लेनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां शिक्षा से इसलिए वंचित हैं कि वे अपनी फीस नहीं दे पाती हैं।

5. लड़कियों की छात्र वृत्तियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिएं जो कि उनकी परीक्षा के बाद इनाम के रूप में हो ताकि उनको आगे स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और इसका एक निश्चित भाग 12 वर्ष से ऊपर की छात्राओं के लिए सुरक्षित होना चाहिए।
6. कुछ ऐसे चयनित स्थानीय स्कूल जहां मातृभाषा के साथ–साथ लड़कियों को अंग्रेजी भी सिखायी जाती है उन्हें अनुदान देने में उदारता दिखाकर प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां जरूरत हो वहां पर विशेष अनुदान भी दिया जाना चाहिए ज्यादातर सीमावर्ती महिला विद्यालयों में।
7. लड़कियों के स्कूलों में पुरुषों के बजाय महिला अध्यापकों की नियुक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा इन स्कूलों में महिला शिक्षकों के अंतर्गत शिष्या–अध्यापक संबंधों को उचित पारिश्रमिक से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विशेष व्यवहार किये जाने योग्य वर्ग के लिए अनुशंसाएं

स्थानीय मुखियाओं व भद्रजनों (कुलीन) के बच्चों के लिए

स्थानीय सरकार को इनके बच्चों के लिए विशेष कॉलेज व स्कूल स्थापित करने से संबंधित प्रश्नों पर विचार आमंत्रित करने चाहिएं जो अभी अस्तित्व में नहीं है। और स्थानीय सरकारों को इनकी शिक्षा का दायित्व उपयुक्त संस्थाओं को सौंपना चाहिए जो जिलाधिकारी व शिक्षा अधिकारियों के देखरेख में कार्य करे।

मुसलमानों के लिए अनुशंसाएं

1. मुस्लिम शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन की जरूरत है जो कि स्थानीय, नगर निकायों और प्रांतीय कोष से दिया जाना चाहिए।
2. स्वदेशी मुस्लिम स्कूलों को उदारतापूर्वक प्रोत्साहित करना चाहिए अपने पाठ्यक्रमों में धर्मनिरपेक्षता के विषय को जोड़ने के लिए।
3. मुस्लिम प्राथमिक शिक्षा स्कूलों में विशेष मानकों को निर्धारित करना चाहिए।
4. ऐसे इलाके जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर माध्यमिक व उच्च शिक्षा विद्यालयों को सार्वजनिक कोष से प्रबंधित किया जाना चाहिए जिसके लिए निर्देश भी भारतीय व अरबी भाषा से प्रेरित होने चाहिएं।
5. मुस्लिमों के लिए उच्च अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था के लिए इस समुदाय के लिए ज्यादा सहायता व उदारतापूर्वक प्रोत्साहन की जरूरत है।
6. जहां जरूरत हो वहां पर मुस्लिम छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जाएं जैसे–
   (a) प्राथमिक विद्यालयों में जो माध्यमिक विद्यालय में मान्य हो।
   (b) मैट्रिक परीक्षा के परिणाम के बाद तथा प्रथम कला परीक्षा के बाद जो विश्वविद्यालयी शिक्षा में मान्य हो।
7. मुस्लिम प्राथमिक शिक्षा की जांच–पड़ताल के लिए अभी तक नियुक्त अधिकारियों में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम अधिकारी होने चाहिए।
8. मुस्लिम शिक्षा को मान्यता व प्रोत्साहन देने के लिए संगठन बनाए जाने चाहिएं।

आदिवासी जनजातियों के लिए अनुशंसाएं

1. आदिवासी जनजातियों के बच्चों को उनकी जरूरत के अनुसार फीस में छूट प्राप्त होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त अन्य सामान्य छूट भी प्रदान करनी चाहिए।
2. जनजातियों की भाषा लिखने के योग्य नहीं होती या ये कहें कि ये अनुपयुक्त होती है, फिर भी इन्हें निर्देश उस स्थानीय भाषा में दिये जा सकते हैं जिसके संपर्क में ये अपने पड़ोसी क्षेत्रों से रहते हैं।

दलितों के लिए अनुशंसाएं

कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपने 5 मई 1854 के पत्र में यह सिद्धांत स्थापित किया था और उसके बाद भारतीय सरकार ने भी इसके उत्तर में 20 मई 1857 को पत्र जारी किया जिसमें ''किसी भी बच्चे को सरकारी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश के लिए इसलिए मना नहीं किया जाएगा कि वह निम्न जाति का है और इसी को प्रांतीय सचिव द्वारा 1863 में दोहराया गया कि कोई भी संस्थान किसी विशेष जाति के लिए आरक्षित नहीं है जो कि सार्वजनिक कोष से संरक्षित हो चाहे वो स्थानीय हो या नगरनिकायों के संस्थान।[18]

हंटर कमीशन ने सभी शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर अपनी विस्तृत जांच–पड़ताल के बाद विस्तार से अपनी अनुशंसाएं अपनी रिपोर्ट में सरकार के समक्ष प्रस्तुत कीं। जिन्हें सरकार ने जहां तक संभव हुआ अपनाया और शिक्षा के क्षेत्र में अगले 20 वर्षों में अभूतपूर्व उन्नति देखी गई। इसे हम इस तालिका के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं :

	1881–82	1901–02
1. माध्यमिक पाठशालाओं संख्या	3,916	5,124
2. माध्यमिक पाठशालाओं में छात्रों की संख्या	214,077	590,129
3. व्यवसायिक तथा कला विषय कॉलेजों की संख्या	72	191
4. कॉलेजों में छात्रों की संख्या	5,403	23,009

इस क्षेत्र में दानी लोगों ने भी बहुत सहयोग किया तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सांप्रदायिक संस्थाएं भी बनने लगीं। अंग्रेजी के साथ–साथ देशी व स्थानीय भाषाओं में भी पाठ्यसामग्री उपलब्ध करायी गई। पाश्चात्य ज्ञान के साथ–साथ भारतीय व प्राच्य भाषाओं के पठन–पाठन में भी रुचि उत्पन्न की गई। इसके अलावा हंटर कमीशन की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अध्यापन व परीक्षा विश्वविद्यालय भी बनाए गये। 1882 में पंजाब व 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गये।[19]

लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ। दरअसल सरकार का सारा ध्यान उच्च व मध्यम वर्ग, जमींदार और कुलीन वर्ग को शिक्षित करने की तरफ ही बना रहा और जनसाधारण की

शिक्षा के प्रति सरकार उदासीन व निरुत्साहित बनी रही।[20] इतना ही नहीं भारतीय कुलीन व मध्यम वर्ग भी वैज्ञानिक शिक्षा की तरफ आकृष्ट नहीं हो सका और मुसलमानों का भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण नहीं था। दरअसल ब्रिटिश सरकार अभी भी सिर्फ भारत में सस्ते क्लर्क ही पैदा करने के लिए शिक्षा पर ध्यान दे रही थी। सभी भारतीयों को शिक्षित करना उसका ध्येय नहीं था। अतः हंटर कमीशन की अनुशंसाएं भी कोई बहुत ज्यादा अमूल–चूल परिवर्तन नहीं कर सकीं। जनसाधारण में शिक्षा के प्रति उदासीनता बरकरार थी।

निष्कर्ष

जहां तक बात हंटर कमीशन की अनुशंसाओं की समीक्षा करने की है तो ये अनुशंसाएं उस समय की परिस्थितियों के लिए एकदम उपयुक्त थीं, अगर सरकार की इच्छाशक्ति इन अनुशंसाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ होती तो आज भारत की स्थिति, परिस्थिति एकदम विपरीत होती। दरअसल हंटर कमीशन ने शिक्षा के हर क्षेत्र में विद्यमान कमी की ओर ध्यान आकर्षित कर उसे दूर करने का सुझाव दिया था। ये सुझाव उस समय भी प्रासंगिक थे और उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। वर्तमान में भी सरकार नित नए आयोग स्थापित कर शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव मांगती है। हंटर कमीशन ने प्राथमिक, माध्यमिक विश्वविद्यालयी, महिला शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निम्न जाति, मुस्लिम शिक्षा, जनजाति शिक्षा पर अपने सुझाव दिए। ये सुझाव इन क्षेत्रों में आज भी अपनाए जा सकते हैं और इनसे सुधार भी अपेक्षित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

प्राथमिक स्रोत

1. *The Report of the Indian Education Commission*
2. *–Appointed by the resolution of Govt. of India. dated 3rd Feb. 1882 (Calcatta Printed by the superintendent of Government Printing India–1883 (Recieved from National Archives, New Delhi)*

द्वितीयक स्रोत

1. *Teach Yourself History,भारत का इतिहास (1757 जव 1950 ।क्द्धएकमलेश प्रसादए भारतीय भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स) पटना 2011*
2. *आधुनिक भारत का इतिहासबी.एल. ग्रोवर, यशपालएस. चन्द एण्ड कंपनी लि. रामनगर, नई दिल्ली1999*

चुने हुए संदर्भ

1. *Teach Yourself History,भारत का इतिहास (1757 जव 1950 ।क्द्धएकमलेश प्रसादए भारतीय भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स) पटना 2011Page No. 236*
2. *As Above*
3. *As Above*
3. *आधुनिक भारत का इतिहास बी.एल. ग्रोवर, यशपाल एस. चन्द एण्ड कंपनी लि. रामनगर, नई दिल्ली 1999Page No. 257*
4. *Teach Yourself History,भारत का इतिहास (1757 जव 1950 ।क्द्धएकमलेश प्रसादए भारतीय भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स) पटना 2011च्हंम छवण 237*
5. *आधुनिक भारत का इतिहास बी.एल. ग्रोवर, यशपाल एस. चन्द एण्ड कंपनी लि. रामनगर, नई दिल्ली 1999 Page No. 257*
3. *The Report of the Indian Education Commission –Appointed by the resolution of Govt. of India. dated 3rd Feb. 1882 (Calcatta Printed by the superintendent of Government Printing India–1883 (Recieved from National Archives, New Delhi) Chapter 1, Page 2*
4. *As Above*
5. *As Above*
6. *As Above*
7. *As Above, Page 3*
8. *As Above*
9. *As Above*
10. *As Above, Page 4*
11. *आधुनिक भारत का इतिहास बी.एल. ग्रोवर, यशपाल एस. चन्द एण्ड कंपनी लि. रामनगर, नई दिल्ली 1999 Page No. 257*
12. *The Report of the Indian Education Commission Appointed by the resolution of Govt. of India. dated 3rd Feb. 1882 (Calcatta Printed by the superintendent of Government Printing India–1883 (Recieved from National Archives, New Delhi)Chapter XIII*
13. *As Above, Page No. 586*
14. *As Above, Page No. 589*
15. *As Above, Page No. 591*
16. *As Above, Page No. 599*
17. *As Above, Page No. 597*
18. *As Above, Page No. 599*
19. *आधुनिक भारत का इतिहास बी.एल. ग्रोवर, यशपाल एस. चन्द एण्ड कंपनी लि. रामनगर, नई दिल्ली 1999Page No. 257*
20. *As Above, Page No. 258*